



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245256
CG-DL-E-20042023-245256

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945

No. 241]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 302(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित कतिपय प्रारूप भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 815(अ), तारीख 11 नवंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 14 नवंबर, 2022 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतिया जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 14 नवंबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय पर्यटक यान (प्राधिकार या परमिट) नियम, 2021 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 है ।
(2) ये 1 मई, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "अखिल भारतीय पर्यटक परमिट" से नियम 5 के अधीन भुगतान की गई परमिट फीस के आधार पर संपूर्ण भारत क्षेत्र में पर्यटक यान चलाने के लिए पर्यटक यान के प्रचालक/स्वामी को समर्थ बनाने के लिए परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया परमिट अभिप्रेत है ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "पर्यटक यान" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (43) में है;

(ङ) "पर्यटक यान प्रचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस पर्यटक यान का स्वामी है, जिसके संबंध में इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी किया गया है ;

(च) "परिवहन प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन गठित परिवहन प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।

3. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन.—(1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर्यटक यान प्रचालक को केवल पर्यटक यान के लिए प्रदान किया जाएगा।

(2) पर्यटक यान के लिए अखिल भारतीय परमिट प्रदान करने या अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के नवीकरण करने के लिए आवेदन परिवहन प्राधिकारी को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप से प्ररूप-1 में किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा:-

सारणी

क्रम संख्या	चालक के सिवाय यात्री क्षमता के अनुसार पर्यटक यान की श्रेणी	वार्षिक रूप में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट फीस	तिमाही रूप में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पांच से कम	20,000	6,000
2.	पांच या पांच से अधिक किन्तु दस से कम	30,000	9,000
3.	दस या दस से अधिक किन्तु तेईस से कम	80,000	24,000
4.	तेईस या तेईस से अधिक	3,00,000	90,000

(4) बैटरी से चलने वाले पर्यटक यान और मेथनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले पर्यटक यान की दशा में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट किसी परमिट फीस के भुगतान के बिना जारी किया जाएगा।

(5) परिवहन प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करेगा।

4. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट को प्रदान करने और उसका नवीकरण करने के लिए प्रक्रिया.—(1) नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर परिवहन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा कि यान के आवश्यक विधिमान्य दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं और यान ने उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां यान रजिस्ट्रीकृत है, द्वारा विहित कर का भुगतान कर दिया है।

(2) यदि, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन अधूरा है और विनिर्दिष्ट फीस साथ में संलग्न नहीं है, तो परिवहन प्राधिकारी लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा ;

परन्तु आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व आवेदन में गलतियों को सुधार करने के लिए आवेदक को अवसर प्रदान करेगा।

(3) यदि, आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर परिवहन प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अखिल भारतीय पर्यटक परमिट इलैक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया गया और जारी किया गया समझा जाएगा।

(4) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक प्ररूप से प्ररूप-2 में प्रदान किया जाएगा और नब्बे दिनों या उसके बाद गुणक जो एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं है, की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(5) एक पर्यटक यान को यान के पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह वर्ष की अवधि को पूरा करने के पश्चात् अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा ;

परन्तु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत डीजल यान के मामले में उसके पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस वर्ष पूरा करने के पश्चात् यान को अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।

5. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच संग्रहित फीस का वितरण.—इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन से संग्रहित फीस नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच वितरित की जाएगी:-

एसआरएन = एसएसएन X (देश के लिए मासिक कूल राजस्व)

एसआरएन = राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के लिए मासिक राज्य राजस्व

एसएसएन = राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का राज्य हिस्सा

= पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का कुल राजस्व

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों का कुल राजस्व।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए "कुल राजस्व" पद से इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन हेतु उद्गृहीत फीस से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संग्रहित राजस्व अभिप्रेत है।

6. परमिट का विस्तार और विधिमान्यता.—(1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट संपूर्ण भारत क्षेत्र में विधिमान्य होगा।

(2) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में पर्यटकों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत रूप से या समूह में पर्यटकों के परिवहन के लिए पर्यटक यान का उपयोग नहीं करेगा जब तक उस व्यक्ति के पास विधिमान्य अखिल भारतीय पर्यटक परमिट या तो इलैक्ट्रानिक प्ररूप में या वास्तविक प्ररूप में न हो।

7. परमिट का अंतरण.—(1) उपनियम (2) में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का अधिकार-क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी की अनुमति के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) जहां इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट रखने वाले पर्यटन यान का स्वामित्व स्वामी की मृत्यु के कारण अंतरित हो गया है, वहां भावी स्वामी या उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 56 के साथ पठित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के अनुसार अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का उपयोग कर सकेगा, जब तक अधिकार-क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी द्वारा यान का स्वामित्व परिवर्तित न कर दिया गया हो।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट वाहन के स्वामित्व के परिवर्तन के लिए आवेदन और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए अंतरण वाहन के स्वामी की मृत्यु के तीन माह के भीतर किया जाएगा।

परन्तु यदि परिवहन प्राधिकारी 3 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसके द्वारा दिए गए कारणों का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से निवारित था।

8. वाहन का प्रतिस्थापन—अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का धारक अधिकारिता क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के साथ अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के भीतर आने वाले किसी भी पर्यटक वाहन उसी प्रकृति के किसी अन्य पर्यटक वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए “समान प्रकृति के पर्यटक वाहन” पद से नियम 3 के उप नियम (3) की सारणी में यथा उल्लिखित समान प्रवर्ग का वाहन अभिप्रेत है जिसके लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट अनुज्ञा किया गया है और फीस संदाय की जाती है और ऐसा प्रतिस्थापन पर्यटक वाहन किसी अन्य मेक या मॉडल के लिए हो सकता है।

9. विशिष्टता सूचक चिन्ह—एसे पर्यटक वाहन जिन्हें इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की अनुज्ञा की गई है वह सुस्पष्ट रूप से वाहन के पीछे बाईं और नीले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद अक्षरों में परमिट की वैधता के साथ “अखिल भारतीय पर्यटक परमिट” शब्द लिखेंगे।

10. पर्यटकों की सूची—(1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अधीन चलने वाले किसी पर्यटक वाहन को इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप या वास्तविक प्रारूप में पर्यटकों की सूची हर समय रखेगा जिसमें प्रत्येक पर्यटक वाहन का ऑपरेटर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए पर्यटक विवरण सहित पर्यटकों का अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखेगा और यह अभिलेख अधिकार क्षेत्र प्राप्त परिवहन प्राधिकरण या किसी प्रवर्तन अधिकारी के मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2). पर्यटकों की सूची अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने की मांग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष मांगे जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।

(3). उप नियम (1) में निर्दिष्ट पर्यटकों का कोई अभिलेख किसी अन्य व्यक्ति या संगठन या कंपनी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

11. परमिट को रद्द और निलंबित करना—परिवहन प्राधिकरण जिसने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्रदान किया है अखिल भारतीय पर्यटक परमिट को रद्द कर सकता है यदि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का धारक-

(क) इन नियमों या अधिनियम के उपबंधों के अतिलंघन में किसी पर्यटक वाहन का उपयोग करता है या करवाता है या अनुदत्त करता है;

(ख) परमिट के अधीन आने वाले वाहन का स्वामित्व समाप्त हो गया है;

(ग) कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा परमिट प्राप्त किया गया है, और

(घ) किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

12. अपील—अधिकार क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति,-

(क) नियम 4 के उप नियमों के अधीन परमिट जारी करने से इनकार करने पर; या

(ख) परमिट का निलंबन रद्द करने या उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर; अथवा

(ग) इन नियमों के नियम 7 के अधीन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट को हस्तांतरित करने या नियम 8 के अधीन वाहन के प्रतिस्थापन से इनकार करने का आदेश; या

(घ) परमिट का नवीकरण करने से इनकार करने का आदेश करने पर,

ऐसा व्यक्ति उस तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर जिस तारीख को ऐसा आदेश ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात उस पर सुनिश्चित करेगा;

परंतु राज्य परिवहन अपील अधिकरण उक्त अवधि के अवसान के पश्चात किसी अपील को देखेगा यदि उसका कारणों पर समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील को करने से निवारित किया गया था।

13. छूट—(1) केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1990 नियम 82 से 85क में विहित की गई शर्तें इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर लागू नहीं होंगी।

(2) मोटर वाहन (अखिल भारतीय पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों के लिए परमिट) नियम, 1993 या अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकृत या परमिट) नियम, 2021 के अधीन जारी किया गया परमिट उनकी वैधता की अवधि के दौरान लागू रहेगा जैसे कि इन नियमों के अधीन जारी किए गए थे।

प्ररूप 1

[नियम 3 (2) देखें]

अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाहन के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र,

सेवा में,

परिवहन प्राधिकरण,

.....

आवेदक का नाम	
मोबाइल नंबर	
ईमेल पता	
उस वाहन का विवरण जिसके लिए परमिट की आवश्यकता है:	

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकरण सं.	वाहन का मेक और मॉडल	पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख	संदत्त सड़क कर	बैठने की क्षमता	स्वामित्व प्रकार (स्वामित्व या पट्टे पर)	अंतिम अखिल भारतीय पर्यटक परमिट संख्या जिस तक भुगतान किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टिप्पण- स्तंभ 3,4,5,और 6 का विवरण वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा। आवेदन के समय फिटनेस, बीमा और नियंत्रण प्रमाणपत्र के अधीन प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता वाहन पोर्टल के माध्यम से मान्य की जाएगी।

2. मैंने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट शुल्क के लिए निम्नलिखित भुगतान किया है:

क्र. सं.	वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या	महीनों की संख्या जिसके लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लागू हुआ	अखिल भारतीय पर्यटक परमिट शुल्क	भुगतान विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

हस्ताक्षर, ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवेदक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप 2

(नियम 4(4) देखें)

(वाहन संख्या) के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट

यह अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पूरे भारत के लिए मान्य है।

1. व्यष्टि या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम से आरंभ, यदि कोई हो)

2. पूरा पता:

3. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट संख्या :

क्रम संख्या	वाहन की मेक	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बैठने की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. शुल्क राशि की तारीख..... रसीद संख्या.....का अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की परमिट शुल्क

5. से.....तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की वैधता

परिवहन प्राधिकरण के ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर

[फा. सं. आरटी-16017/2/2018-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2023

G.S.R. 302(E).—Whereas certain draft rules were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 815 (E), dated the 11th November, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14th November, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 14th November, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the 1st May, 2023.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) “All India Tourist Permit” means a permit issued by the Transport Authority to enable a tourist vehicle operator / owner to ply tourist vehicle throughout the territory of India on strength of permit fee paid under rule 5;

(c) “Form” means a Form appended to these rules;

(d) “tourist vehicle” shall have the same meaning as assigned to them in clause (43) of section 2 of the Act;

(e) “tourist vehicle operator” means a person who owns a tourist vehicle in respect of which an All India Tourist Permit is issued under these rules;

(f) “Transport Authority” means the Transport Authority constituted under subsection (1) of section 68 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application for All India Tourist Permit.—(1) The All India Tourist Permit shall be granted only to a tourist vehicle of tourist vehicle operator.

(2) An application for grant of All India Tourist Permit or renewal of All India Tourist Permit for a tourist vehicle shall be made to the Transport Authority in Form 1 in electronic form on the portal.

(3) The application made under sub-rule (2) shall be accompanied by the fee as specified in the table below:-

TABLE

Serial Number	Category of tourist vehicle as per passenger capacity excluding driver	All India Tourist Permit fee in rupees annually	All India Tourist Permit fee in rupees quarterly
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Less than five	20,000	6,000
2.	Five or more but less than ten	30,000	9,000
3.	Ten or more but less than twenty three	80,000	24,000
4.	Twenty three or more	3,00,000	90,000.

(4) In case of battery operated tourist vehicle and tourist vehicle driven on methanol or ethanol fuel, the All India Tourist Permit shall be issued without payment of any permit fee.

(5) The Transport Authority shall issue the All India Tourist Permit, within a period of seven days from the date of receipt of application.

4. Procedure for grant of All India Tourist Permit and renewal thereof.—(1) On receipt of an application under rule 3, the Transport Authority may inspect the documents electronically to ensure that the vehicle has necessary valid documents such as certificate of insurance, certificate of fitness, Pollution Under Control Certificate and vehicle has paid the tax prescribed by the State or Union territory where the vehicle is registered.

(2) If the application made under sub-rule (2) of rule 3 is incomplete and not accompanied by the specified fee, the Transport Authority may reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that before rejecting an application, an opportunity shall be given to the applicant to cure the defects in the application.

(3) If no decision is taken by the Transport Authority within seven days of receipt of the application, the All India Tourist Permit shall be deemed to have been granted and generated through electronic system.

(4) The All India Tourist Permit shall be granted in Form 2 in electronic form on the portal and shall be valid for a period of ninety days or its multiples thereof not exceeding five years at a time.

(5) A tourist vehicle shall not be granted the All India Tourist Permit after the vehicle has completed twelve years from the date of first registration of the vehicle:

Provided that, in case of a diesel vehicles registered in the National Capital Territory of Delhi, the All India Tourist Permit shall not be granted after the vehicle has completed ten years from the date of its first registration.

5. Distribution of fee collected among States and Union territories.—The fee collected with the application for the All India Tourist Permit under these rules shall be distributed among the States and Union territories as per the formula given below:-

$$SR_n = SS_n \times (\text{Total revenue for the month for the country})$$

$$SR_n = \text{State Revenue for the month for the State or Union territory}$$

$$SS_n = \text{State share of the State or Union territory}$$

$$= \frac{\text{Total revenue of nth State or Union territory for preceding three financial years}}{\text{Total revenue of all the States or Union territories for preceding three financial years.}}$$

Total revenue of all the States or Union territories for preceding three financial years.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “Total revenue” means the revenue collected by the State or Union territory from the levy of fee for application for the All India Tourist Permit under these rules.

6. Scope and Validity of permit.—(1) The All India Tourist Permit, shall be valid throughout the territory of India.

(2) The All India Tourist Permit shall be used for the transport of tourists individually or in a group, along with their personal luggage.

(3) No person shall use the tourist vehicle for the transport of tourists individually or in a group, unless the person has a valid All India Tourist Permit, either in electronic form or in physical form.

7. Transfer of permit.—(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the All India Tourist Permit shall not be transferable from one person to another except with the permission of the jurisdictional Transport Authority.

(2) Where the ownership of the tourist vehicle having the All India Tourist Permit under these rules, is to be transferred due to the death of the owner, the prospective owner or successor, as the case may be, shall use the All India Tourist Permit as per sub-section (2) of section 50 of the Act read with rule 56 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, until the change of ownership of the vehicle by the jurisdictional Transport Authority.

(3) An application for change of ownership of the vehicle referred to in sub-rule (2) and transfer of the All India Tourist Permit shall be made within three months from the death of the owner of the vehicle:

Provided that the Transport Authority may entertain an application after the expiry of three months, if it is satisfied on reasons that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

8. Replacement of vehicle.—The holder of All India Tourist Permit, may, with the permission of the jurisdictional Transport Authority, replace any tourist vehicle covered by the All India Tourist Permit, with any other tourist vehicle of the same nature.

Explanation. — For the purpose of this rule, the expression “tourist vehicle of the same nature” means the vehicle of the same category as mentioned in Table of sub-rule (3) of rule 3 for which the All India Tourist Permit has been granted and fee has been paid and such replacement tourist vehicle may be of any other make or model.

9. Distinguishing mark.—The tourist vehicles which have been granted All India Tourist Permit under these rules shall prominently display the words “All India Tourist Permit” on rear left side of the vehicle in white letters in blue background along with the validity of the permit.

10. List of tourists.—(1) A tourist vehicle plying under the All India Tourist Permit, shall at all times carry a list of tourists in electronic form or in physical form, which shall contain the details of origin and the destination of each tourist and tourist vehicle operator shall maintain record electronically, of the tourists, including journey details, for a minimum period of one year and these records shall be made available to the jurisdictional Transport Authority or any other law enforcement officer on demand.

(2) The list of tourists shall be produced on demand before the officers authorised to demand production of documents by or under the Act or the rules made thereunder.

(3) No record of the tourists referred to in sub-rule (1) shall be shared with any other person or organisation or company.

11. Cancellation and suspension of permit.—The Transport Authority which granted the All India Tourist Permit, may cancel the All India Tourist Permit, if the holder of the All India Tourist Permit, —

(a) uses or causes or allows a tourist vehicle to be used in contravention to the provisions of these rules or the Act;

(b) ceases to own the vehicle covered by the All India Tourist Permit;

(c) obtained the All India Tourist Permit by fraud or misrepresentation, or

(d) acquires the citizenship of any foreign country.

12. Appeals.—Any person aggrieved by an order of the jurisdictional Transport Authority, against the,-

(a) refusal to issue the All India Tourist Permit under sub-rule (2) of rule 4; or

(b) suspension or cancellation of the All India Tourist Permit or any variation of the condition thereof;
or

(c) order of refusal to transfer the All India Tourist Permit under rule 7 or replacement of vehicle under rule 8 of these rules; or

(d) order of refusal to renew the All India Tourist Permit,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is received by such person, appeal to the State Transport Appellate Tribunal, which shall give a decision thereon after giving such person an opportunity of being heard:

Provided that the State Transport Appellate Tribunal may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied on the reasons that the appellant was prevented from making the appeal within the specified period.

13. Exemption.—(1) The conditions prescribed in rules 82 to 85A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the All India Tourist Permits granted under these rules.

(2) The All India Tourist Permit issued under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 or the All India Tourist Vehicles (Authorisation or Permit) Rules, 2021 shall continue to be in force during their validity period as if they were issued under these rules.

Form 1

[See rule 3(2)]

Application form for grant or renewal of the All India Tourist Permit for Tourist Vehicle

To,

The Transport Authority,

.....

Name of the applicant								
Mobile number								
Email address								
Particulars of the vehicle for which permit is required:								
Sr. No.	Registration No.	Make and Model of the vehicle	Date of First Registration	Road Tax Paid upto	Seating capacity	Ownership Type (Owned or Leased)	Last All India Tourist Permit Number held by the vehicle	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Note: - Details in column 3, 4, 5 and 6 shall be auto fetched from VAHAN portal.

At time of application validity of certificate of fitness, insurance and Pollution Under Control Certificate shall be validated through VAHAN portal.

2. I have made following payment towards the All India Tourist Permit fee:-

Sr. No.	Vehicle registration number	Number of months for which the All India Tourist Permit applied	All India Tourist Permit fee	Payment Details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I certify that the above information is true and correct.

Signature, e-signature or digital signature or thumb impression of

Applicant or the authorised signatory

Form 2

[Refer rule 4(4)]

The All India Tourist Permit for (Vehicle Number)

This All India Tourist Permit is valid for whole of India

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any):
2. Complete Address:
3. All India Tourist Permit No.:

Sr. No.	Make of the Vehicle	Registration number	Date of First Registration	Seating Capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. Amount of All India Tourist Permit fee paid receipt number.....date of fee payment.....

5. Period of validity of the All India Tourist Permit from.....to.....

e-signature or digital signature of the Transport Authority.

[F. No. RT-16017/2/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.